न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 2891–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–8–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 199/13–14/अपील.

.....

विनोद कुमार पुत्र प्रभूदयाल राठौर
निवासी ग्राम बनवार
तहसील चीनोर, जिला ग्वालियर ..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कमला देवी पत्नी माया राम राठौर
निवासी सिंधिया नगर गली नं. 1
शब्द प्रताप आश्रम, लश्कर, ग्वालियर ..... अनावेदिका

.....

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक दिसम्बर 2014)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक विनोद कुमार द्वारा तहसीलदार, चीनौर जिला ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बनवार स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 346 रकबा 0.951 हेक्टेयर उसकी दादी लच्छोबाई पत्नी प्यारे लाल राठौर के भूमिस्वामी

स्वत्व की है । उक्त भूमि की उसकी दादी द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की गई है । दादी की मृत्यु होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 19/10–11/अ–6 दर्ज किया जाकर दिनांक 30–7–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर स्वर्गीय लच्छोबाई के स्थान पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–2–14 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका कमलादेवी पुत्री प्यारेलाल पत्नी माया राम का नामांतरण स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–8–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–2–14 की पुष्टि की जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह प्रकरण नामांतरण से संबंधित है, और मृतक भूमिस्वामी लच्छोबाई द्वारा आवेदक विनोद कुमार के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–7–11 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है, और अनावेदक की ओर से दिनांक 11–2–13 को लगभग 18 माह विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब क्षमा करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है,

क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को नामांतरण करने का अधिकार नहीं होकर तहसीलदार को प्राप्त है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के साक्षियों के कथन लिये जाकर वसीयतनामा को साक्षियों से प्रमाणित किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश वैधानिक आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि यदि अनावेदिका मृतक लच्छोबाई की पुत्री होती तो उसकी मृत्यु के उपरांत नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिए थी, लगभग 18 माह तक कार्यवाही नहीं करने के कारण उसके पक्ष में किया गया नामांतरण अवैधानिक है । तर्क में यह भी कहा गया कि उभय पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि अभी प्रचलित हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, इसलिए उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था और अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को यदि नामांतरण आदेश पारित करना था, तब सभी वारिसों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करना चाहिए था, अकेले कमलादेवी के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । तर्कों के समर्थन में 1992 आर.एन. 289 एवं 1999 आर.एन. 355 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व. लच्छोबाई की दो शादियां हुई थी । पहले पति से 3 पुत्र हुए थे, जिनमें 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई है और 1 पुत्र जीवित है, जिसका आवेदक पुत्र है । लच्छोबाई के दूसरे पति स्व. प्यारेलाल थे, जिनकी एक मात्र पुत्री अनावेदिका कमलादेवी है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि स्व. प्यारेलाल की होकर स्व. लच्छोबाई को विरासत में प्राप्त हुई थी । तर्क में यह भी कहा गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत

वैध उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुए वसीयत नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट हो गया था कि अनावेदिका स्व. लच्छोबाई की पुत्री है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा न तो उसे पक्षकार बनाया गया, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, और बिना अनावेदिका को सुने नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि तहसील न्यायालय में अनावेदिका को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था, इसलिए आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा स्वयं तहसील न्यायालय में सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस आधार पर कहा गया कि स्व. लच्छोबाई के अन्य वारिस होते तब आवेदक उन्हें तहसील न्यायालय में पक्षकार बनाता । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी की प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की शक्तियां समाप्त हो गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा में ही उल्लेख है कि स्व. लच्छोबाई के 3 पुत्र एवं 1 पुत्री है । 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, और तीसरे पुत्र के पुत्र के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा सभी वारिसों को सूचना दी गई है । यह भी कहा गया कि यदि तहसीलदार द्वारा प्रकियात्मक त्रुटि की गई थी, तब प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से वारिसान की रिपोर्ट चाही गई है । पटवारी द्वारा विधिवत पंचों के समक्ष पंचनामा तैयार कर वारिसों की रिपोर्ट तहसीलदार के

समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें अन्य वारिसों के साथ–साथ अनावेदिका कमलादेवी को भी मृतक लच्छोबाई का वारिस दर्शाया गया है, परन्तु तहसीलदार द्वारा कमलादेवी को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है, और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 27 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है । तहसीलदार द्वारा मृतक लच्छोबाई के अन्य वारिसों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं, और उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण एकपक्षीय किया गया है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मृतक लच्छोबाई की वारिस अंगूरीबाई, संतोष एवं मुकेश द्वारा इस आशय के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और न ही सूचना पत्र उनके परिवार के किसी सदस्य पर तामील हुआ है, इस कारण मृतक लच्छोबाई के वारिसों को वसीयतनामा के साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि भू–दान यज्ञ पर्षद से पट्टे पर प्राप्त हुई है, इसलिये तहसीलदार द्वारा इस बिन्दु पर भी जांच की जाना थी क्या प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत करनें का अधिकार मृतक लच्छोबाई को था अथवा नहीं, जो नहीं की गई है । इस प्रकार तहसीलदार, चीनौर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा मृतक भूमिस्वामी लच्छोबाई बेवा प्यारेलाल की एक मात्र पुत्री मानकर उसके पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया है, परन्तु इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है कि मृतक लच्छोबाई के पहले पति से भी तीन पुत्र हुये है, उनमें से एक पुत्र तथा उसकी संताने जीवित है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुये यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक के पक्ष नोटराईज्ड वसीयत है, जबकि अनावेदिका के पक्ष में पंजीकृत वसीयत है, जो

अधिक विश्वसनीय है, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । इस संबंध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत नहीं है । साथ ही आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयत बाद की है, जबकि अनावेदिका के पक्ष में निष्पादित वसीयत पूर्व की है, इस बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2014, अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2014 एवं तहसीलदार, चीनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत निराकरण हेतु तहसीलदार, चीनौर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर